दिनांक 23.12.2022 को प्रस्तावित जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक हेतु

एजेन्डा नोट–

जिला उद्योग मित्र समिति की विगत बैठक का अनुपालन– उद्योग मित्र की विगत बैठक जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 07.11.2022 को जिलाधिकारी कार्यालय सभागार में सम्पन्न हुई थी। जिसका कार्यबृत्त कार्यालय के पत्रांक 901–18 दिनांक 18.11.2022 द्वारा सभी विभागों तथा सदस्यों को अनुपालनार्थ प्रेषित किया जा चुका है।

महोदया अवगत कराना है, कि वर्तमान में विभाग द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कोविड काल में आये स्थानीय प्रवासीयो एवं शिक्षित युवा बेरोजगार हेतु निम्न स्वरोगार योजनायें विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। अब तक इन योजनाओं में वर्ष 2022–23 की प्रगति निम्नानुसार है।

1– मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना–

प्राप्त लक्ष्य	कुल आयोजित साक्षात्कार	बैंकों को प्रेषित आवदेन पत्र	बैंक द्वारा स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित ऋण आवेदन पत्र
400	04	714	338	235

2–मुख्यमंन्त्री स्वरोजगार योजना (नैनो)

प्राप्त लक्ष्य	बैंकों को प्रेषित आवदेन पत्र	बैंक द्वारा स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित ऋण आवेदन पत्र
600	510	257	211

3– प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजनाः–

विभाग/एजेन्सी का नाम	वार्षिक लक्ष्य इकाई	बैंकों को प्रेषित आवेदन पत्र		बैंको द्वारा स्वीकृत आवेदन पत्र		बैंको द्वारा वितरित आवेदन पत्र	
		संख्या	म0म0 धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
जिला उद्योग केन्द्र, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड,खादी ग्रामोद्योग आयोग	131 मा.मनी (394.33)	252	442.77	123	191.82	97	149.68

विगत बैठक में लम्बित बिन्दुओ पर अद्यतन प्रगति समीक्षा

बिन्दु संख्या–01 मिनी औद्योगिक आस्थान गरूड़ में रिक्त शेडो के आवंटन से संबंन्धित बिन्दु–

इस सम्बन्ध में अवगत करना है गढसेर (गरूड़) में स्थापित अद्यौगिक अस्थान में है, में 06 शेड निर्मित है। जिसमें 02 इकाईयां स्थापित है किन्तु वे उत्पादनरत नहीं है, एवं 04 शेड रिक्त है। रिक्त शेडो के आवंटन हेतु उद्योग निदेशालय द्वारा दिये गये निर्देशों अनुसार रिक्त शेड आवंटन हेतु समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे। अभी तक कार्यालय को 05 उद्यमियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए है इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदया द्वारा भी दिनांक 20.12.2022 को औ0 आस्थान में उद्यमियों को आवंटित परन्तु उद्यमियों द्वारा अभी तक कार्य न करने पर असंन्तोष व्यक्त किया गया तथा महाप्रबन्धक, उद्योग को सम्बन्धित इकाईयों को उत्पादन प्रारम्भ किये जाने हेतु 15 दिन का समय देते हुए नोटिस एवं तत्पश्चात भी कार्य प्रारम्भ न करने वाली इकाईयों के आवंटन निरस्त करने एवं तत्पश्चात ही औ0 अस्थान में शैडों के आवंटन की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये।

(महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर)

बिन्दु सं0–02 ताम्र ग्रोथ सेन्टर की स्थापना हेतु 03 फेज 25 के0वी0ए0 के विद्युत ट्रासफार्मर की स्थापनाः–

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिला योजना मद में विद्युत ट्रान्सफार्मर मय विद्युत कनैक्शन सहित रू0 5.76 लाख स्वीकृत हुआ है जिसकी प्रथम किश्त रू0 3.02 लाख आवंटित हो गयी थी। किन्तु तत्कालीन जिलाधिकारी महोदया द्वारा दिनांक 07.09.2022 को उक्त स्थल का निरीक्षण के पश्चात

ग्रोथ सेन्टर के भवन को जीर्ण होने के कारण अनपयुक्त पाया, तथा ग्रोथ सेन्टर हेतु विभाग को अन्यत्र भूमि के चयन के निर्देश दिये गये थे। विभाग द्वारा ग्राम भटखोला, खांकर क्षेत्र में भूमि का चयन के उपरान्त, भूमि विभाग के नाम स्थानान्तरीत कर ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात विद्युत ट्रांसफार्मर स्थापित किया जा सकेगा।

बिन्दु सं0–03 अल्मोड़ा मैग्नेसाईट लिमेटिड काफलीगैर से संबन्धित बिन्दुः–

(अ) अल्मोड़ा मेग्नेसाईट झिरोली काफलीगैर, जो स्टोन एवं उससे सम्बन्धित उत्पादों का उत्पादन कर रही है। फैक्ट्री में निर्मित उत्पाद जैसे सी0सी0 ब्रिक्स, ब्लॉक्स/इन्टरलॉकिंक पेवर्स को जनपद एवं नजदीकी जनपदों के राजकीय निमार्ण विभाग/ परियोजना विकास प्रोजेक्ट में कय में वरीयता प्रदान किये जाने सम्बन्धी मॉग–

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लो0नि0वि0 द्वारा मैग्नेसाइट में निर्मित ईंट/व्लॉक्स का प्रयोग बागेश्वर बस स्टेशन के निकट श्री गांधी आश्रम के आगे सड़क निर्माण मे किया गया जिसकी गुणवत्ता में कमी पाई गयी इस सम्बन्ध में विगत बैठक में उपस्थित अल्मोडा मैग्नेसाइट के सी0एफ0ओ0 द्वारा गुणवत्ता में सुधार लाने का आश्वासन दिया एवं अवगत कराया गया कि उनके द्वारा ईट/ब्लाको में इंगित कमीयों को दूर करने की कार्यवाही की गयी है। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में फैक्ट्री में बन रही ब्लाको/ईटो का तकनीकी परीक्षण करने एवं गुणवता रिर्पोट प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 बागेश्वर ने अपने पत्र 3426 दिनांक 21.12.2022 द्वारा अवगत कराया गया है। की मैग्नेसाईड फैक्ट्री में बन रही टाईल्सो का सार्मथ्य परीक्षण (Compressive Stregth test) विभाग की प्रयोगशाला में किया गया, जो कि मानको के अनुरूप सही पायी गयी है। **(प्रति संलग्न)**

(कार्यवाही लो0नि0वि0 बागेश्वर)

(ब) अल्मोडा मैग्नेसाइट लि0 द्वारा सोप स्टोन पाउडर उद्योग हेतु चिरांग सोप स्टोन(एरिया 11.664 है0) में नई लीज आंवटन किये जाने की मॉग से सम्बन्धित बिन्दु

विगत बैठक में अवगत कराया गया था कि उक्त प्रकरण में प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने हेतु निदेशालय को पत्र प्रेषित किया गया है। चर्चा के उपरान्त अध्यक्ष महोदय अपर जिलाधिकारी से जानकारी प्राप्त कर कार्यवाही किये जाने हेतु आश्वस्त किया।

बिन्दु सं0 04:– उद्योग एवं पर्यटन के विकास हेतु निम्न सुझाव एवं बिन्दुः–

श्री दलीप सिंह खेतवाल, मै0 बागनाथ पेपर प्रोड्क्ट्स बागेश्वर एवं संरक्षक बागनाथ चेम्बर ऑफ कामर्श इण्डस्ट्रीज द्वारा कोविड–19 के कारण उद्योग में कार्य प्रभावित रहने के कारण। निम्न बिन्दु एवं सुझाव प्रस्तुत किये गये।

(1)– सूक्ष्म और लघु उद्यमों को एम0एस0एम0ई0 में दी जाने वाली छूट विशेष राज्य सहायता को 02 से 03 वर्ष बढाये जाने सम्बन्धी मॉग।

(2)– प्रिन्टिग उद्योगों को परिवहन उपादान का लाभ अनुमन्य किये जाने विषयक बिन्दु।

(3)– रू0 10 लाख तक के मुद्रण का कार्य जिलो में निविदा के अनुसार ही कराये जाने, रू0 10 लाख से रू0 50 लाख तक के मुद्रण कार्य राज्य के प्रिन्टिग प्रेसों से ही निविदा के अनुसार कराया जाने एवं रू0 50 लाख से ऊपर के प्रिन्टिग कार्य ई–निविदा के अनुसार करायें जाने की विषयक मॉग।

अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त प्रकरणो के नीतिगत होने के कारण बैठक में निर्णय ना लिये जाने के कारण महाप्रबन्ध उद्योग को राज्य स्तर पर प्रकरण सन्दर्भित किये जाने हेतु उनके हस्ताक्षर से महानिदेशक उद्योग को पत्र प्रेषित किये जाने के निर्देशो के क्रम में कार्यालय द्वारा जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से महानिदेशक उद्योग देहरादून को पत्र संख्या 885–87 दिनांक 16.11.2022 द्वारा पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

बिन्दु सं0 05:– श्री मनोज अरोड़ा, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रान्तीय उद्योग व्यापार संघ उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष व्यापार संघ बागेश्वर एवं अध्यक्ष बागनाथ चैम्बर ऑफ कॉमर्श इण्डस्ट्रीज बागेश्वर द्वारा जनपद में पर्यटन, व्यवसायिक, धार्मिक गतिविधियों को बढावा दिये जाने के उददेश्य से ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेललाईन परियोजना का विस्तार जनपद बागेश्वर तक किये जाने एवं मेलाडुंगरी (बैजनाथ) हैलीपेड से नियमित हैलीकॉप्टर से प्रारम्भ किये जाने से सम्बन्धित मॉग।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि में उक्त बिन्दुओ के राज्य स्तरीय होने के कारण विभाग द्वारा पूर्व में उद्योग निदेशालय देहरादून को राज्य स्तरीय बैठक में रखे जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। साथ ही चेम्बर ऑफ कार्मस एण्ड ईन्ड0 के उक्त सन्दर्भित पत्र को जिला पर्यटन अधिकारी बागेश्वर को उक्त बिन्दुओ पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

बिन्दु सं0 06:– चैम्बर आफ कार्मस इन्डस्ट्रीज द्वारा जनपद के टूरिस्ट गाइडों, टैक्सी ड्राइवरों और पयर्टन से जुडे व्यवसायों को टूरिस्ट गाइड का प्रशिक्षण दिलाये जाने एवं टूरिस्टो को गाइड करने हेतु साईन बोर्ड बनाये जाने विषयक बिन्दु।

इस सम्बन्ध में सम्भागीय परिवहन अधिकारी बागेश्वर ने अपने पत्र दिनांक 25/07/22 द्वारा टैक्सी ड्राईवर एवं गाइडों को प्रशिक्षण सम्बन्धी बिन्दु के संबंध में अवगत कराया गया है,कि समय–समय पर सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान सम्बन्धित टैक्सी यूनियनों के माध्यम से चालक/परिचालको को पर्यटको के साथ उचित ब्यवहार की जानकारी प्रदान की जा रही है। साथ ही जिला पर्यटन अधिकारी द्वारा विगत बैठक में अवगत कराया गया था कि टूरिस्ट गाईडो एवं पर्यटन व्यवसाईयों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया जाना प्रस्तावित है।

(कार्यवाही जिला पर्यटन अधिकारी बागेश्वर)

बिन्दु सं0 07:– श्री चन्द्र शेखर पाण्डे ग्राम चौंरसों गरूड़ के लिंक रोड के निर्माण से सम्बन्धित बिन्दु ।

इस संबंध वन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा विगत बैठक अवगत कराया गया कि पूर्व में जिला योजना से उक्त सड़क का निर्माण कराया गया था। पुनः धनराशि प्राप्त होने पर निर्माण कराया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित वनक्षेत्राधिकारी को निर्देश दिये कि वे संबंधित सडक का पुनः पुर्नपरीक्षण कराकर सड़क प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिशिचित करे। विभाग से अद्यतन सूचना/प्रगति अपेक्षित है।

(कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर)

बिन्दु सं0 08:– श्री अनिल कार्की सदस्य बागनाथ चैम्बर एवं मुर्गी फार्म बागेश्वर द्वारा खुले में काटे एवं बिकी किये जाने वाले मांस को प्रतिबन्धित किये जाने से सम्बन्धित बिन्दु।

उक्त सन्दर्भ में श्री कार्की द्वारा अवगत कराया गया जिला मुख्यालय में पूर्व से स्थापित स्लाटर हाऊस को मानको के अनुरूप न होने के कारण सील कर दिया गया था। उनके द्वारा स्वंय के निवेश पर स्लाटर हाउस का निर्माण किया गया था। किन्तु प्रशासन/नगरपालिका/मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा कोई प्रतिबन्ध न लगाने के कारण खुले में कटे हुए मांस की बिकी हो रही है। जबकि नगरपालिका द्वारा मेरे साथ एम ओ यू हस्ताक्षरित भी किया गया है। इस संबन्ध मे अवगत कराना है अधिशासी अधिकारी नगर पालिका ने अपने पत्र दिनांक 05.11.2022 द्वारा अवगत कराया कि मीट व्यवसायो को श्रीमती कार्की के अमसरकोट स्थित निजी स्लाटर हाऊस में पशु बध किये जाने हेतु उनके द्वारा सूचित कराया गया था परन्तु मीट विकेताओ द्वारा उक्त स्लाटर हाऊस में पशुबध हेतु जाने से मना किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में नगर पालिका द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा मात्र मांस विकय किये जाने की अनुमति दी जाती है, पशुबध की अनुमति खाद्या सुरक्षा विभाग द्वारा प्रदान की जाती है।

बिन्दु सं0 09:– श्री गंगा सिंह पांगती अध्यक्ष शिखर सेवा समिति धरमघर द्वारा ऊनी कारोबार के उत्पादन एवं ब्रिकी को पुर्न जीवित रखने हेतु बुनकरो हेतु ऊन बैक एवं प्रर्दशन हेतु आउटलेट स्थापना संबंधी बिन्दु।

इस संबंध में महाप्रबन्धक द्वारा अवगत कराना है कि तत्कालीन जिलाधिकारी महोदया द्वारा स्थानीय उत्पाद एवं हस्तशिल्प व हथकरधा को बढावा देने के लिए गरूड रोड पर कोतवाली के समीप स्थित खादी एवं ग्रामोद्योग भवन का जीर्णोधार करते हुये टेर्निग सेन्टर एवं आउटलेट शॉप का प्रस्ताव किया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा ग्रामीण निर्माण विभाग को इसका आंगणन तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस सम्बन्ध में अद्यतन प्रगति की सूचना अपेक्षित हैं।

(कार्यवाही खादी ग्रामोद्योग / ग्रामीण निर्माण विभाग बागेश्वर)

अन्य कोई बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति सें

महाप्रबन्धक / सचिव
जिला उद्योग मित्र समिति
बागेश्वर।